

# कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला-मुरैना

प्र० क्र०/२७/१६-१७/अ-८२/भू-अर्जन/३०म०रे०

//सूचना-पत्र//

उप मुख्य अभियंता, (निर्माण)

उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर म.प्र.

बनाम

कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति

ग्राम पहाडी तहसील व जिला मुरैना

द्वारा:- तहसीलदार परगना मुरैना

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है) की धारा 21(1) के अन्तर्गत

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम पहाडी तहसील व जिला मुरैना में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित छोटी रेलवे लाईन से बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आशय है अतः भू-अर्जन, अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकर के दावे का हक का भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकर मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक 07.01.18 तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अभिभाषक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील मुरैना जिला मुरैना में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 07.01.18 पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया।

क्र. सं.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा है. मे		
			सिचिंत	असिचिंत	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत्त-8/पटवारी हल्का- 79/ /ग्राम-पहाडी /तहसील एवं जिला मुरैना	2023	0.041	निरंक	निरंक
		2024			
2		2026/1	0.197	निरंक	निरंक
		2026/2			

3		2027	0.278	निरंक	निरंक
4		2183/1 2183/2	0.158	निरंक	निरंक
5		2115/1/मि.1 2115/1 मि.2 2115/2	0.167	निरंक	निरंक
6		2100/1	0.004	निरंक	निरंक
7		2101	0.250	निरंक	निरंक
8		2176	0.096	निरंक	निरंक
9		2177	0.071	निरंक	निरंक
10		2184	0.084	निरंक	निरंक
11		2181	0.089	निरंक	निरंक
12		2168	0.060	निरंक	निरंक
13		2116/1 2116/2 2116/3	0.219	निरंक	निरंक
14		2180	0.109	निरंक	निरंक
15		2102	0.863	निरंक	निरंक
कुल		21	2.686		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय, वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजार मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथम से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 08/12/17 को जारी किया गया।

स्थान : मुरैना  
तारीख : 08/12/17

(भास्कर लाक्षाकार)  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला-मुरैना (म0प्र0)  
मुरैना, दिनांक 08/12/2017

पृष्ठांकन क्र0 27/अ-82/भू-अर्जन/उ0म0रे0/2017/  
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

4. तहसीलदार, परगना मुरैना की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिग बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

(भास्कर लाक्षाकार)  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला-मुरैना (म0प्र0)